न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—362/2013/75 (2013/00032)

1. धन्ना पुत्र सायर, जाति मेहरात, नि0 ग्राम गुवाडिया, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. अमरचंद पुत्र त्रिलोकचंद, जाति माली, नि0 ग्राम खरवा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विरूद्ध आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 18.6.2002 दिनांक 4.8.2017 .

उपस्थितः—

1. श्री एन0एस0राजावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 20.1.2020

1. यह अपील विद्वान आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक दिनांक 18.6.2002 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विद्वान आवंटन सलाहकार समिति के आदेश दिनांक 18.6.2002 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 को ग्राम खरवा के खसरा नबर 1318 रकबा 33—4—00 बीघा में से 3—5—0 बीघा भूमि आवंटित की गई । विद्वान आवंटन सलाहकार समिति के उक्त आवंटन आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पर बहस करते हुए कथन किया अप्रार्थी संख्या 1 आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित कूटरचित, फर्जी एवं दुर्भावना से

ग्रसित आवंटन आदेश दिनांक 18.6.2002 एवं उसके आधार पर अंकित गैर खातेदारी की आड़ में पुलिस से अविधिक रूप से सहायता प्राप्त कर प्रार्थी के पैतृक कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा कर प्रार्थी व उसके परिवार को बेदखल करने पर आमादा है । अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.6.2002 से अपीलांट के हित प्रभावित हुए है तथा अपीलांट व्यथित पक्षकार है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 18.6.2002 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा कूटरचित आदेश दिनांक 18.6.2002 के आधार पर ग्राम गुवाडिया के खसरा नंबर 5558 मिन रकबा 2 बीघा जिस पर अपीलांट एवं उसके पूर्वाधिकारियों का पिछले 40 वर्षो से निरन्तर बिना किसी दखल के कब्जा व काश्त चला आ रहा है, में व्यवधान उत्पन्न कर उक्त आवंटन आदेश की पालना में कब्जा किये जाने का प्रयास किया गया तथा अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 27.8.2013 को पुलिस थाना मसूदा के समक्ष शिकायत भी पेश की गई। अपीलांट को पुलिस थाना मसूदा के समक्ष तलब किये जाने पर अपीलांट को उक्त तथ्यों की जानकारी दिनांक 30.8.2013 को हुई जिस पर अपीलांट ने उक्त भूमि के संबंध में आवंटन आदेश दिनांक 18.6.2002 एवं राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतियों हेतु आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 3.9.2013 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर बाद विधिक सलाह यह अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आवंटन आदेश विधिविरूद्ध है । आवंटन सलाहकार समिति द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में आवंटन आदेश पारित किए जाने से पूर्व आवंटन नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई जिससे अपीलाधीन आवंटन आदेश निरस्त योग्य है । रेस्पो0 संख्या 1 एवं उसकी पत्नि श्रीमती संतोष पूर्ण रूप से कृषक नहीं होकर दुकान संचालित करते है साथ ही उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के तहत ग्राम खरवा के निवासी होने के कारण ग्राम खरवा के खसरा नंबर 1318 रकबा 33–4–00 में से 3–5–00 बीघा भूमि आवंटित किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर पटवारी हल्का द्वारा जांच रिपोर्ट भी की गई जिससे पूर्णतया स्पष्ट है कि दिनांक 18.6.2002 को आवेदक आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ तथा खसरा नंबर 1318 स्थित ग्राम खरवा भू–संशोधन का प्रकरण होने के कारण आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अपने आदेश दिनांक 18.6.2002 से रेस्पो0 संख्या 1 का आवेदन निरस्त किये जाने की आज्ञा पारित की गई थी ऐसी स्थिति में आवंटन आदेश में आवेदन के विपरीत कांट–छांट कर खसरा नंबर परिवर्तित किए जाने से आवंटन आदेश निरस्त योग्य है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा न तो ग्राम गुवाड़िया तह0 मसूदा के खसरा नंबर 5855 मिन रकबा 2 बीघा के लिये कभी भी कोई आवेदन पत्र पेश किया गया तथा न ही रेस्पो0 संख्या 1 ग्राम गुवाडिया का स्थाई निवासी ही है इसके बावजूद राजस्व एजेन्सी द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 से सांठ–गांठ कर आवंटन आदेश दिनांक 18.6. 2002 में कांट–छांट करते हुए निरस्त किए गये आवंटन आदेश में स्वीकृत शब्द अंकित करते हुए रेस्पो0 संख्या 1 के हक में आवंटन आदेश खसरा नंबर 5855 मिन बाबत् पारित कर दिया जबकिउसमें किसी ग्राम

का नाम भी अंकित नहीं है । इससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन आवंटन आदेश कूटरचित एवं फर्जी होकर निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि ग्राम गुवाडिया के खसरा नंबर 5558 मिन रकबा 2 बीघा भूमि पर अपीलांट एवं उसके पूर्वाधिकारियों का पिछले 40–50 वर्षो से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है जिस पर चारो ओर पत्थरों की डोल भी बनी हुई है । आवंटन आदेश दिनांक 18.6.2002 बिना किसी उद्घोषणा जरी किये एवं आधिपत्य की जांच किये बिना पारित किया गया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । रेस्पो0 संख्या 1 का विवादित आराजी से कोई संबधं नहीं है न ही उसका कभी कब्जा काश्त रहा है एवं वर्तमान में भी कब्जा काश्त नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 18.6.2002 निरस्त किया जावे ।

7. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश विधिसम्मत् है । आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर आवंटन आदेश पारित किया गया है । विवादित भूमि से अपीलांट का कोई संबंध नहीं है । अपीलांट को अपीलाधीन आवंटन आदेश की प्रारंभ से जानकारी थी इसके बावजूद अपीलांट द्वारा जानबूझकर अपीलांट को परेशान करने की नियत से इतने लंबे विलंब के बाद अपील पेश की है जो मियाद बाहर होने से भी अपील खारिज किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है ।

9. अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधि0 में अंकित किया है कि आवंटन आदेश दिनांक 18.6.2002 की सर्वप्रथम जानकारी पुलिस थाना मसूदा द्वारा अपीलांट को तलब किये जाने पर दिनांक 27.8.2013 को हुई है जबकि आवंटन आदेश दिनांक 18.6.2002 का है । अपीलांट द्वारा उक्त आवंटन आदेश दिनांक 18.6.2002 के विरूद्ध यह अपील लगभग 11 वर्ष के बाद पेश की है तथा मियाद को क्षम्य करने के संबंध में केवल यह आधार लिया गया है कि पुलिस थाना, मसूदा द्वारा तलब किये जाने पर उक्त आवंटन आदेश की जानकारी हुई । पुलिस थाना मसूदा के समक्ष कौन सा प्रकरण विचाराधीन था, रिपोर्ट एफ0आई0आर0 के संबंध में पत्रावली पर कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है । रेस्पो0/आवंटी वर्ष 2002 से आवंटन के पश्चात् कब्जे काश्त में रहा तथा अपीलांट को रेस्पो0 के पक्ष में हुए आवंटन की जानकारी प्रारंभ से नहीं रही हो किया गया कथन स्वीकार योग्य नहीं है । आवंटन मजमे आम में किया गया तथा उस रोज अन्य आवंटन भी हुए थे । अपीलांट को दिनांक 18.6.2002 को किये गये मजमे आम में आवंटन की जानकारी नहीं रही हो कथन स्वीकार्य नहीं है । अपीलांट द्वारा मियाद को क्षम्य करने के संबंध में कोई भी ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । मियाद अधि0 के अनुसार एवं मान0 उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में अपीलांट को प्रत्येक दिन के विलंब का कारण बताना अतिआवश्यक है । अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के समुचित, पर्याप्त एवं ठोस कारण नहीं बताये गये है इसलिये 11 वर्ष के अत्यधिक विलंब को माफ किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील भारी मियाद बाहर पेश होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 खारिज योग्य तथा अपील इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य पायी जाती है ।

10. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 खारिज होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर मियाद बाहर पेश किये जाने से खारिज की जाती । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 20.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर